

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**संकल्प**

**विषय :-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्रियान्वयन इत्यादि मद में स्वीकृत समय-सीमा एवं इस हेतु पूर्व से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ एकरारनामा के फलस्वरूप तीन वर्षों में कुल राशि 8471.07 लाख (चौरासी करोड़ एकहत्तर लाख सात हजार) रुपये के व्यय की स्वीकृति।

राज्य में दिनांक 01.02.2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के कुल आच्छादित 8.71 करोड़ लाभुकों को भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे 4.60 लाख मे0टन खाद्यान्न के मासिक आवंटन को लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में पारित न्याय निर्णय के अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों तक खाद्यान्न को पहुँचाना सुनिश्चित करना है। इसके आलोक में संकल्प संख्या- 8226 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना माह जनवरी 2014 से लागू है। विभागीय संकल्प सं0-8832 दिनांक 20.11.2014 के द्वारा कम्प्यूटराईजेशन एवं अन्य सम्बद्ध मद में 4.08 रुपये प्रति क्विंटल के दर की स्वीकृति डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत प्राप्त है।

3. भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम-2015 अधिसूचित किये जाने के कारण पूर्व से चालू उक्त योजना को संशोधित करते हुए डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 लागू की गई। उक्त के आलोक में कम्प्यूटराईजेशन एवं अन्य सम्बद्ध उप मद में भुगतये राशि 4.08 प्रति क्विंटल का भुगतान कम्प्यूटराईजेशन मद से किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि 3846 लाख (अड़तीस करोड़ छियालीस लाख) रुपये के व्यय की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् से प्राप्त है।

4. जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा कुल राशि रू0 26,83,32,255/- विमुक्त किया गया, जिसके आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश मद से राशि का भुगतान किया जाता था। उक्त योजना का अंतिम रूप से अवधि विस्तार 31 मार्च 2020 तक किया गया था, उसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा उक्त मद में राशि विमुक्त नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरी राशि का व्यय राज्य योजना से करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (सप्लाइ चैन मैनेजमेंट) के क्रियान्वयन इत्यादि मद में तीन वर्षों में कुल राशि 6695.00 लाख (छियासठ करोड़ पंचानवे लाख) रुपये के व्यय की स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद् से प्राप्त की गई।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु वर्तमान में चल रहे जन वितरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने, मानवीय हस्तक्षेप रहित कम्प्यूटराईज्ड एस0आई0ओ0 निर्गत करने, खाद्यान्न का मूल्य आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करने, डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत जी0पी0एस0 एवं लोड सेलयुक्त वाहनों से खाद्यान्न का परिवहन कराने, डेटा सेंटर का डिजाईन, विकास, स्थापना और कमीशनिंग, वाहन ट्रेकिंग सिस्टम का संचालन रख-रखाव के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन की गतिविधि के प्रबंधन के लिए मानव बल का अनुप्रयोग और आपूर्ति इत्यादि कार्य तीन वर्षों तक क्रियान्वयन करने हेतु निविदा के माध्यम से 4जी0 आईडेंटिटी सॉल्यूशन प्रा0लि0 (4G Identity Solution Pvt. Ltd.) का चयन किया गया था, जिसके साथ बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा दिनांक 19.01.2022 को एकरारनामा किया गया जो दिनांक 16.10.2021 से 15.10.2024 तक प्रभावी था।

पुनः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्रांक-8576 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया है कि सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के क्रम में एकरारनामा की कंडिका 5 में अंकित प्रावधान के आलोक में निगम निदेशक पर्षद के 181वीं बैठक 09.10.2024 के मद सं0-181.4 में लिए गए निर्णय के आलोक में आदेश ज्ञापांक 8304 दिनांक 14.10.2024 के द्वारा सेवा प्रदाता कंपनी 4जी0 आईडेंटिटी सॉल्यूशन प्रा0लि0 (4G Identity Solution Pvt. Ltd.) का बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के साथ किए गए एकरारनामा का अवधि विस्तार आर0एफ0पी0 की शर्तों और नियमों के तहत एकरारनामा की कंडिका-5 में निहित प्रावधान के अनुसार 10% वार्षिक वृद्धि सहित दिनांक 16.10.2024 से 15.10.2027 तक के लिए किया गया जिसपर तीनों वर्ष का जी0एस0टी0 सहित राज्य योजना से संभावित व्यय की कुल राशि 84,71,06,246.00 रुपये (चौरासी करोड़ एकहत्तर लाख छः हजार दो सौ छियालीस रुपये) है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Component	Charges (Exclusive of GST)	GST Amount @ 18%	Total Charges (Inclusive of GST)
1.	Business Operation Charges 1 <sup>st</sup> Year (16.10.2024-15.10.2025)	21,68,84,184/-	3,90,39,153/-	25,59,23,337/-
2.	Business Operation Charges 2 <sup>nd</sup> Year (16.10.2025-15.10.2026)	23,85,72,602/-	4,29,43,068/-	28,15,15,671/-
3.	Business Operation Charges 3 <sup>rd</sup> Year (16.10.2026-15.10.2027)	26,24,29,863/-	4,72,37,375/-	30,96,67,238/-
4.	Total Cost	71,78,86,649/-	12,92,19,597/-	84,71,06,246/- अर्थात 8471.07 लाख रू०

6. अतः वर्णित स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्रियान्वयन इत्यादि मद में स्वीकृत समय-सीमा एवं इस हेतु पूर्व से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ एकरारनामा के फलस्वरूप तीन वर्षों (दिनांक-16.10.2024 से 15.10.2027 तक) में कुल राशि 8471.07 लाख (चौरासी करोड़ एकहत्तर लाख सात हजार) रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन मद में राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102- सिविल पूर्ति योजना, मांग संख्या-18 उप शीर्ष 0105- लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण विपत्र-18-3456001020105, विषय शीर्ष 0105-13-01 कार्यालय व्यय/0105-21-01 सामग्री एवं पूर्तियां/0105-28-02 संविदा सेवाएँ एवं 0105-28-04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विषय शीर्ष 0105-13-01 कार्यालय व्यय मद में 600 लाख रुपये/0105-21-01 सामग्री एवं पूर्तियां मद में 600 लाख रुपये/0105-28-02 संविदा सेवाएँ मद में 2500 लाख रुपये एवं 0105-28-04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में 1500 लाख रुपये का बजटीय उपबंध है।

8. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 04.02.2025 को मद संख्या-35 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या- प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024/22 टि0।

(डॉ० एन० सरवण कुमार)  
प्रधान सचिव

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024 203 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि - ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024 203 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि -महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024 203 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री,  
बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी  
प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य  
भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान  
सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचना एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी  
कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित  
करा दें ।

  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक-प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024 203 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि - सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक-प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024 203 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि - माननीया मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024 203 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि - विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा-05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण  
विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-विविध-(Comp.)-68/2024 203 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान सचिव